पुनर्स्थापना(1660) का स्वरुप और महत्व

स्नातक प्रथम वर्ष

द्वितीय पत्र

ई कंटेंट

डॉ0 राजीव कुमार

सहायक प्राध्यापक

इतिहास विभाग

लंगट सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

पुनर्स्थापना(Restoration)- इंगलैण्ड में लौंग पार्लियामेंट के शासन के दौरान कई तरह के प्रयोग किये गये। इसी दौरान लंबे समय से चली आ रही राजशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 30 जनवरी 1649 को चार्ल्स प्रथम को फाँसी की सजा दे दी गई। इसके बाद कॉमनवेल्थ की घोषणा की गई। ओलिवर क्रॉमवेल ने शासन संचालन के लिए राजशाही के विकल्प के तौर पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपनाने की कोशिश इस उम्मीद में किया कि उसे जनता की स्वीकृति मिलेगी परंतु ऐसा हो ना सका। और अंत में इंगलैण्ड में एक बार फिर से राजशाही व्यवस्था को अपना लिया गया। इसे हीं इंगलैण्ड के इतिहास में पुनर्स्थापना के नाम से जाना जाता है।

1. पुनर्स्थापना के लिए उत्तरदायी कारण
    - क्रॉमवेल के संवैधानिक प्रयोगों की असफलता
    - प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की अलोकप्रियता
    - क्रॉमवेल की नई नैतिक और धार्मिक व्यवस्था तथा उसका सांविधानिक प्रयोग

- अधिकारियों (सैन्य) द्वारा प्रजातंत्र के काम में हस्तक्षेप करना तथा साधारण लोगों के इच्छा के विरुद्ध उनके जनजीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश
- जनमानस में शक्तिशाली और स्थाई सरकार की लालसा

2. ब्रेडा घोषणा- संसद और चार्ल्स द्वितीय के बीच मौंक के मध्यस्थता में समझौता हुआ वार्ता हुआ जिसे ब्रेडा घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार
   - पुराने अपराधों के लिए किसी को दंडित नहीं किया जायेगा।
   - सैनिकों के बकाया वेतन का भुगतान किया जायेगा।
   - सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया जायेगा।
   - लौंग पार्लियामेंट के काल में जिन लोगों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी लौटा दी जाएगी
3. पुनःस्थापना का स्वरुप- 1660 के पुनःस्थापन में संसद को वैधानिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिली। राजा का अधिकार पूर्ववत बना रहा। संसद की सर्वोच्चता भी कायम नहीं हो सकी। अर्थात सैद्धांतिक रुप से राजा और संसद के

जो अधिकार पहले थे वही अधिकार अभी भी रहा परंतु व्यवहारिक स्थिति में परिवर्तन भी हुआ ।

- संसद के तीव्र विरोध के सामने राजा को विवशतावश झुकना पड़ा।
- कानूनी और सैद्धांतिक रुप से राजा संप्रभु था परंतु व्यवहारिक रुप में संसद संप्रभु थी।
- राजनीतिक प्रश्नों पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार संसद के पास था।
- राजा के अधिकार में खास परिवर्तन नहीं हुआ परंतु राजत्व का वह स्थान नहीं रहा जो लौंग पार्लियामेंट के पूर्व में था।
- नागरिकों की स्वतंत्रता और संसद के अधिकारों के रक्षा के नाम पर राजा के शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया।
- विशेषाधिकार प्राप्त न्यायालय सदा के लिए समाप्त कर दिये गये।
- लॉर्ड्स सभा जिसे लौंग पार्लियामेंट के समय समाप्त कर दिया गया था फिर से स्थापित किया गया।

- कानून बनाने, कर लगाने, खर्च के लिए धन मंजूर किये जाने इत्यादि के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य कर दी गई।
- देश के आंतरिक और बाह्य मामलों में भी राजा संसद की उपेक्षा नहीं कर सकता था।

इस प्रकार राजा का दैवीय अधिकार समाप्त हो गया तथा राजतंत्र का स्वरुप संवैधानिक हो गया।

धन्यवाद

घर पर रहें

सुरक्षित रहें।

●●●